

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक:-प.2(3)/बैठक/न्याय/2023

दिनांक

1. समस्त अति.मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त जिला कलक्टर एवं
जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स।

विषय :- LITES Software के नये संस्करण 3.0 के परिचालन पूर्व जांच करने के सम्बन्ध में।

महोदय

निवेदन है कि वर्तमान में न्याय विभाग के माध्यम से चल रहे LITES 2.0 (Litigation Information Tracking & Evaluation System) के नये संस्करण LITES 3.0 को निर्मित कर परिचालन के लिए तैयार कर लिया गया है। परिचालन से पूर्व इसमें किये गये संशोधनों एवं नवाचारों के सम्बन्ध में LITES 3.0 हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसके संबंध में यथा समय निवेदन कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों के नाम नामित कर विभाग को दिनांक 30.06.2025 तक प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।

इस एप्लिकेशन को औपचारिक रूप से लागू किए जाने से पूर्व, यह आवश्यक है कि इसका समग्र परीक्षण किया जाए एवं इसकी कार्यक्षमता (functionality), विभाग के डेटा की शुद्धता (Data Accuracy) एवं उपयोग हेतु तत्परता (Readiness) सुनिश्चित कर ली जावे। इस हेतु ssotest.rajasthan.gov.in पर अपने विभाग/ईकाई/कार्यालय की आईडी से लॉगिन कर टेस्टिंग करने एवं परीक्षण के दौरान कोई त्रुटि, सुझाव अथवा सुधार अपेक्षित हो, तो उसे शीघ्र न्याय विभाग की मेल आई.डी justice-deptt@rajasthan.gov.in पर अवगत करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें, जिससे समय पर आवश्यक सुधार किए जा सकें।

शासन विशिष्ट सचिव

